(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 20 (आर.ई. 2013)/2009–2014</u>
नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई, 2013

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड–1) के पैरा 4.19 के तहत पंजीकरण का पत्तन के तौर पर कट्टुपल्ली समुद्री पत्तन को शामिल करना।

विदेश व्यापार नीति, 2009–2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड–1); 2009–14 (आर.ई. 2012) के पैरा 4.19 में संशोधन करके "कट्टुपल्ली समुद्री पत्तन, तमिलनाडु" को पंजीकरण का पत्तन के तौर पर शामिल करते हैं।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड–1) में पंजीकरण का पत्तन से संबंधित पैरा 4.19 में, समुद्री पत्तन के अंत में कट्टुपल्ली समुद्री पत्तन (तमिलनाडु) को जोड़ा जाएगा।

(प्रकिया पुस्तक खण्ड 1 के संशोधित संस्करण में, इस पत्तन का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सही क्रम पर रखा जाएगा)।

<u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>

विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के तहत निर्यात संवर्धन लाभों का फायदा लेने के लिए, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–1 के पैरा 4.19 के तहत कट्टुपल्ली समुद्री पत्तन, तमिलनाडु को शामिल कर लिया गया है।

(अनुप के.पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/94/180/454/एएम11/पीसी 4 से जारी)